460
12.9.17

संख्या– 806/XV-3/2017-01(27)/2005

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 19 जनवरी, 2018 ~~दिसम्बर, 2017~~

विषय– **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ संचालित की जा रही योजनाओं यथा अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (Special Component Plan for Scheduled Castes) एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना (Sub-Plan for Scheduled Tribal Areas) के मानकों के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा केन्द्र सहायतित योजना ब्लू रिवोल्यूशनः मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन हेतु निर्धारित की गयी गाईडलाईन्स एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-27035-19/2015-Fy(IV), दिनांक 28.09.2017 द्वारा मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत अंतःस्थलीय एवं समुद्री मात्स्यिकी योजना के लाभार्थी उन्मुख योजना के घटकों में सब्सिडी एवं सब्सिडी पैर्टन में किये गये संशोधन के अनुरूप ही राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ राज्य सैक्टर के अधीन संचालित की जा रही योजनाओं यथा अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (Special Component Plan for Scheduled Castes) एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना (Sub- Plan for Scheduled Tribal Areas) की लागत एवं अनुदान मानकों का निर्धारण संलग्न **परिशिष्ठ 'क'** के विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. योजनान्तर्गत लाभार्थियों की संख्या प्राविधानित बजट की सीमा के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी तथा इस हेतु कोई अतिरिक्त व्ययभार सृजित नहीं किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण DBT के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
3. तालाबों में उच्च वृद्वि दर वाली मछलियों का पालन तथा पूरक आहार प्रणाली के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त कर मत्स्य पालक की आय में वृद्वि की जायेगी।
4. योजनान्तर्गत तालाब निर्माण हेतु लाभार्थियों के प्रस्ताव स्वीकृति का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा, जिस हेतु जनपद में एक पंजिका बनाई जायेगी जिसमें कि आवेदक का नाम, आवेदन की तिथि, पता आदि का अंकन किया जाय।
5. मत्स्य पालन हेतु प्रस्ताव स्वीकृत करने की स्थिति में आवेदक/लाभार्थी से कार्य प्रारम्भ करने के 05 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व कार्य छोड़ने पर योजना हेतु देय अनुदान की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा।

क्रमशः.....2

6. क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य द्वारा भी स्थल का चयन कर लाभार्थी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जायेगा।
7. चयनित लाभार्थियों के तालाब निर्माण हेतु स्वीकृति/अनुमोदन सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा।
8. चयनित स्थल तथा कार्यपूर्ति उपरान्त तालाब की फोटोग्राफ अभिलेखों में रक्षित किये जायेगें।
9. कार्यपूर्ति फोटोग्राफ में निर्मित तालाब में सम्बन्धित जनपद के अनुमोदनकर्ता के साथ फोटोग्राफ की जायेगी।
10. लाभार्थियों को एक किश्त अथवा दो किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा। लाभार्थी यदि वित्तीय रूप से सशक्त है एवं एक किश्त में भुगतान हेतु सहमत है, तो मात्र ऐसे लाभार्थियों को ही एक किश्त में भुगतान किया जा सकता है।
11. तालाब निर्माण के कार्य पूर्ण हो जाने पर तालाब में पानी पूर्ण रूप से भर जाने के उपरान्त ही प्रथम वर्षीय निवेश की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
12. निवेश की धनराशि लाभार्थियों को उपलब्ध न कराते हुए लाभार्थियों को मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।
13. पर्वतीय क्षेत्र के मानकों के अन्तर्गत तालाबों का निर्माण मात्र पर्वतीय क्षेत्र में ही किया जायेगा।
14. वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर सभी लाभार्थियों की सूची नाम, पता, यूनिट की संख्या, दिये गये अनुदान की धनराशि आदि विवरण एवं उच्च गुणवत्तायुक्त फोटोग्राफ्स सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
15. योजनान्तर्गत जनपदों में सेमिनार आहूत कराकर योजना का प्रचार–प्रसार करते हुए अधिक से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों को मत्स्य पालन से जोड़ा जायेगा।
16. प्रशिक्षण एवं फील्ड भ्रमण कार्यक्रम आहूत कराकर अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रेणी के लाभार्थियों को मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीकी जानकारियॉ एवं लाभार्थियों का कौशल विकास करते हुए उद्यमिता विकसित की जायेगी।
17. योजनाओं अन्तर्गत होने वाले कार्यो में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शिथिलता बरते जाने एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में इसका प्रतिकूल अंकन किया जायेगा।
18. उक्तानुसार योजनाओं हेतु निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार ही योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजनाओं के मानकों में राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई संशोधन नही किया जायेगा।

**संलग्नक–यथोक्त।**

भवदीय,

**(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)**
सचिव।

**क्रमशः.....3**

**संख्या–806( )/XV-3/2016-01(27)/2005, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(वी०एस० पुण्डीर)**
उप सचिव

परिशिष्ठ–'क'

शासनदेश सं०–806 /XV-3/2017-01(27)/2005(बजट), दि० 19 जनवरी, 2018 ~~दिसम्बर, 2017~~ का संलग्नक

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ मत्स्य विभागान्तर्गत संचालित की जा रही योजनाओं यथा अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (Special Component Plan for Scheduled Castes) एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना (Sub- Plan for Scheduled Tribal Areas) की लागत एवं अनुदान के निर्धारित मानक :–

| क्र० सं० | योजनान्तर्गत मदों का नाम | पूर्व में निर्धारित मानक | | | | नवीन संशोधित मानक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ईकाई माप में (क्षे०फ० हैक्टेयर में) | कुल लागत (₹ लाख) | राज्य सरकार का अशं (₹ लाख) | लाभार्थी अंश (₹ लाख) | ईकाई माप में (क्षे०फ० हैक्टेयर में) | कुल लागत (₹ लाख) | राज्य सरकार का अशं (₹ लाख) | लाभार्थी अंश (₹ लाख) |
| –1– | –2– | –3– | –4– | –5– | –6– | –7– | –8– | –9– | –10– |
| 1. | पर्वतीय तालाब निर्माण | | | | | | | | |
| | 1.1–निमार्ण | 0.01 | 0.50 | 0.35 | 0.15 | 0.01 | 1.00 | 0.60 | 0.40 |
| | 1.2–निर्माण उपरान्त संचालन हेतु निवेश | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.08 |
| 2. | मैदानी तालाब निर्माण | | | | | | | | |
| | 2.1–निमार्ण | 0.20 | 0.60 | 0.42 | 0.18 | 0.05-0.50 तक | 0.35-3.50 तक | 0.21-2.10 तक | 0.14-1.40 तक |
| | 2.2– निर्माण उपरान्त संचालन हेतु निवेश | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.05-0.50 तक | 0.075-0.75 तक | 0.045-0.45 तक | 0.030-0.30 तक |

| | | पूर्व में निर्धारित मानक | नवीन संशोधित मानक |
|---|---|---|---|
| 3. | प्रशिक्षण | ₹ 1500/– प्रति प्रशिक्षणार्थी | ₹ 4.25 लाख प्रति बैच (01 बैच = 50 प्रशिक्षणार्थी) |
| 4. | फील्ड भ्रमण – राज्य से बाहर (प्रति लाभार्थी) | ₹ 0.10 लाख | ₹ 0.15 लाख |
| 5. | सेमिनार (प्रति कार्यक्रम) | ₹ 0.10 लाख | ₹ 0.15 लाख |

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।